

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय

शुद्धि पत्र

सं०सं० 05 / उ०नि०ब०(आ०)14 / 2016

उद्योग विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या 2492 दिनांक 11.07.2016 के आलोक में आवंटन संख्या 41/आ० दिनांक 19.07.2016 द्वारा विपत्र कोड P2852801020160 के विषय शीर्ष 3301 सब्सिडी मद में रू० 1531.68 लाख (पन्द्रह करोड़ एकतीस लाख अड़सठ हजार) का आवंटन निर्गत किया गया है।

इसी क्रम में उद्योग विभाग के शुद्धि पत्रांक 428 दिनांक 16.02.2017 द्वारा उक्त स्वीकृत्योदश की कंडिका 2 में निम्न प्रकार संशोधित किया गया है।

विपत्र कोड P2852801020160 के विषय शीर्ष 3301 सब्सिडी मद से रू० 1531.68 लाख (पन्द्रह करोड़ एकतीस लाख अड़सठ हजार) के स्थान पर रू० 1131.68 लाख (ग्यारह करोड़ एकतीस लाख अड़सठ हजार) मात्र पढ़ा जाय।

तदनुसार निर्गत आवंटन संख्या 41/आ० दिनांक 19.07.2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।


आवंटन की अन्य शर्तें यथावत रहेंगे।

  
उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 114/3170/

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


पटना, दिनांक 22.2.17

  
उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 114/3170/

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य-प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सहायक निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा-05, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक(योजना), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं आई० टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 22.2.17

  
उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।